न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/64/2019

प्रवेश तिथि 22.07.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री देवीराम पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी वार्ड नं. 11, नैनसुख मौहल्ला, बहरोड़ तह0 बहरोड जिला–अलवर–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 21.08.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 03.04.19 पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर ने अपने पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/19/615 दि. 10.04.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भूमि आवंटन संबधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.04.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.07.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/419–20 दिनांकः 22.07.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 01.08.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र क्रमशः दिनांकः 01.08.19 एवं 19.08.19 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के पश्चात् पत्रांक लोक सूचना/19/1164–66 दि0 20.08.19 मय संलग्नक के जवाब जरिये डाक पेश हुआ। किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उप0 नहीं हुआ।
6. हमने प्रत्यर्थी से प्राप्त जवाब एवं अपीलार्थी की प्रथम अपील का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.04.19 के संबंध में पत्रांकः 563/13.05.19, 636/03.06.19 एवं 1153 दि0 19.08.19 के माध्यम से तहसीलदार बहरोड को बिन्दू सं. 5, 6 व 7 के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जिसकी प्रति अपीलर्थी को प्रेषित नहीं है। P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

7. इस प्रकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रकाश में जो सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध/संधारित नहीं थी, के लिए बिन्दूवार वर्णन करते हुए तहसीलदार बहरोड़ को आवेदन अंतरित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार विधिक त्रुटि कर अब बिन्दू सं. 5, 6 व 7 के साथ अन्य बिन्दूवार संपूर्ण जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी की ही है। प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त अपीलोत्तर के अनुसार अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 03.04.2019 के किसी बिन्दू पर सूचना प्रेषित नहीं की गई है।
8. अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।
9. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 03.04.19 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को बिन्दूवार उपलब्ध कराई जावे।
10. यहॉ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)